

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 620]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 10, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-6-7-2009-अट्टारह-3.—राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-6-7-2009-18-3, दिनांक 21 मई 2010 को निरस्त करते हुए, भेलसा रामलीला मेला विधान, 1956 (क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भेलसा रामलीला मेला समिति विदिशा में तीन वर्ष के लिए निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है:—

1.	कलेक्टर, जिला विदिशा	:	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रमौली मिश्र शास्त्री	:	सदस्य (रामलीला सभा भेलसा द्वारा अनुशंसित)
3.	श्री सुरेश कुमार शर्मा शास्त्री	:	-----"
4.	श्री हरिशंकर अग्रवाल	:	-----"
5.	श्री कीर्ति प्रकाश शर्मा	:	-----"
6.	श्री मदन किशोर शर्मा, एडवोकेट	:	-----"
7.	श्री मनोज कुमार शर्मा	:	-----"
8.	पंडित गोविन्द प्रसाद शास्त्री	:	सदस्य (शासन द्वारा नामांकित)
9.	श्री नरेन्द्र कुमार सोनी	:	-----"
10.	श्री सुरेश शर्मा अहमदपुर वाले, सचिव	:	-----"
11.	श्री बसंत जैन, पार्षद	:	सदस्य (नगरपालिका द्वारा अनुशंसित)
12.	श्री अखिलेख जैन, पार्षद	:	-----"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. अहिरवार, अवर सचिव.